

2.  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में  
जारी हुए

प्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
विपक्षीयता को जवाब पेश करने के अनेक  
अपसर देने के बखजूद भी कोई जवाब पेश  
नहीं किया, अतः उनका जवाब उद किया  
जाता है। वकील प्रार्थी ने बखस सुनने का  
निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया जाकर वकील  
प्रार्थी की बखस सुनी गई। बखस पर मनन  
किया गया। प्रावली का अध्ययन, मक्लोकत  
किया गया, निम्नलिखित बातें हैं कि  
प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार योग्य है। अतः  
नेबमवही निर्णय अलग से लिखा जाकर  
शामिल प्रावली किया जाता है। प्रावली  
कैसल गुमर होकर हासिल दफतर हो।  
सख्या लै एक कम हो।

